



प्रेस नोट

दिनांक 10.11.2025

03 अभियुक्त के विरुद्ध जिलाबदर की कार्यवाही की गई।

पुलिस अधीक्षक महोदया हमीरपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही / प्रभावी पैरवी के क्रम में न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जनपद हमीरपुर द्वारा जनपद के थाना मौदहा, थाना बिवांर से सम्बन्धित गुण्डा अपराधी को जनपद हमीरपुर की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित / जिलाबदर किया गया है। पारित आदेश में आदेशित किया गया है कि जिलाबदर की अवधि में निष्कासित / जिलाबदर अपराधीगण अपने साथ किसी प्रकार का शस्त्र व अग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेंगे एवं 06 माह की अवधि तक जनपद हमीरपुर की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे तथा बाह्य जनपद में जिस स्थान पर निवास करेंगे उसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय एवं स्थानीय पुलिस को भी देंगे।

जिलाबदर किये गये अभियुक्तगण का विवरण:-

- 1.अभियुक्त- आफताफ पुत्र कमरुद्दीन (उम्र करीब 45 वर्ष) निवासी मु0 ग्राम परछा थाना मौदहा जनपद हमीरपुर, दिनांक 27.10.2025 से 06 माह।
- 2.अभियुक्त- सीताराम पुत्र सूरजबली (उम्र करीब 48 वर्ष) निवासी ग्राम नरायच थाना मौदहा जनपद हमीरपुर, दिनांक 30.10.2025 से 06 माह।
- 3.अभियुक्त- शेखर सिंह पुत्र छोटा (उम्र करीब 35 वर्ष) निवासी ग्राम छानी बुजुर्ग थाना बिवांर जनपद हमीरपुर, दिनांक 30.10.2025 से 06 माह।